[illegible]
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]
अतारांकित प्रश्न [illegible]ख[illegible]: 1135
22 [illegible], 2019 [illegible]प्रश्[illegible] [illegible]त्त[illegible]

इलेक्ट्रानिक निकोटीन डिलिवरी सिस्टम
([illegible])

1135. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्र[illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible]. [illegible]
श्र[illegible]

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह [illegible]

(क) गत तीन वर्षों और चालू वष के दौरान देश म ई-सिगरेट या इलेक्ट्रानिक निकोटीन डिलिवरी सिस्टम (ईएनडीएस) का कितनी प्रमात्रा म आयात किया गया;
(ख) क्या सरकार ने हाल ही म एक विधेयक स्वीकृत किया है और इलेक्ट्रानिक सिगरेटों पर पाबंदी का ऐलान करके एक वृहत्त स्वास्थ्य और आरोग्य पहल शुरू को है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसी राज्य ने अभी तक ई-सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने ई-सिगरेट का प्रयोग न करने हेतु जागरूकता फैलाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसम क्या सफलता प्राप्त हुई है;
(ङ) क्या प्रतिबंध के बाद ई-सिगरेट बेचने वालों के विरुद्ध कोई कारवाई को जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) देश मे इलेक्ट्रानिक निकोटीन डिलिवरी सिस्टम (ईएनडीएस) पर पाबंदी को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह?

[illegible]त्त[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य [illegible] (श्र[illegible])

(क)

[illegible]	[illegible]
2016-17	9775
2017-18	30438
2018-19	3915
2019-20	500

(ख)और(ग): भारत सरकार ने 18 सितम्बर, 2019 को इलैक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिमाण, आयात, नियात, ढुलाई, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेश, 2019 के प्रख्यापन के माध्यम से इलेक्ट्रानिक सिगरेट तथा इसके जैसे साधनों पर रोक लगाई है।

यह अध्यादेश पूरे भारत पर लागू है और इस तरह ई-सिगरेट सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों म प्रतिबंधित है।

(घ) से (च): केन्द्र एवं राज्य सरकार विभिन्न संचार माध्यमों से ई-सिगरेट के हानिकर प्रभावों और निषेध पर जागरूकता सृजन करती रही है।

सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों तथा हितधारकों, केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों को अध्यादेश के प्रावधानों के कायान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त अध्यादेश के कायान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कायान्वयनकता एजसियों को भी वीडियो कान्फरस के माध्यम से सुग्राही बनाया गया । इसके अतिरिक्त, अध्यादेश के प्रावधानों के कायान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के साथ एक हितधारक बैठक आयोजित को गई।

इलैक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिमाण, आयात, नियात, ढुलाई, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेश, 2019 को धारा 7 म ई-सिगरेट को बिक्री के लिए कारावास या आर्थिक दण्ड अथवा दोनों सहित दण्ड देने का प्रावधान है।

उक्त अध्यादेश, 2019 के प्रावधानों का प्रवतन करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिम्मेदारी है।

****